राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3253/2024

सुरेश कुमार खटीक

–अपीलार्थी

बनाम

1. रजिस्टार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
2. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.11.2024
आदेश की दिनांक : 07.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेंद्र पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। दिनांक 23.12.2020 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई, तथा उक्त एफआईआर के अनुसरण में राजस्थान राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 01.01.2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित रखा गया था। अपीलार्थी के लम्बे समय तक निलम्बन के पश्चात् विद्वान राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने दिनांक 19.04.2023 को अपीलार्थी का निलम्बन निरस्त करने का आदेश पारित किया तथा उक्त आदेश के अनुसरण में विद्वान राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने दिनांक 19.04.2023 को एक अन्य आदेश पारित किया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को एसडीएम कार्यालय लालसोट दौसा में नायाब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित किया गया था। (अनुलग्नक–1 व 2) विद्वान राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित दिनांक 19.04.2023 का निलंबन निरस्तीकरण आदेश अक्टूबर 2024 तक अपीलार्थी को नहीं दिया गया, क्योंकि न तो विद्वान राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर और न ही

कलेक्टर सवाई माधोपुर ने निलंबन निरस्तीकरण के बारे में अपीलार्थी को सूचित किया। दिनांक 19.04.2023 के आदेश में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का मुख्यालय राजस्व मंडल, अजमेर है, जबकि उसके निलंबन के दौरान दिनांक 23.08.2022 को विद्वान राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा एक आदेश पारित कर मुख्यालय को राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर से जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी ने उप रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर को एक पत्र दिनांक 19.04.2023 के आदेश द्वारा निलंबन निरस्तीकरण के संबंध में अपीलार्थी को भेजी गई सूचना के संबंध में। उक्त आवेदन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि निलंबन निरस्तीकरण के संबंध में सूचना राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई है। अपीलार्थी ने दिनांक 15.10.2024 को दूरभाष के माध्यम से विद्वान राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर कार्यालय से सूचना मांगी थी, जबकि उसका निलंबन दिनांक 19.04.2023 को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड कार्यालय के साथ–साथ कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के सुस्त रवैये के कारण डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी निलंबन निरस्तीकरण की सूचना नहीं दी गई। (अनुलग्नक–4) दिनांक 11.10.2024 को अपीलार्थी को इस स्थानांतरण के अनुसरण में विद्वान राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की संयुक्त स्थानांतरित सूची के माध्यम से एसडीएम कार्यालय दौसा में स्थानांतरित किया गया था। अपीलार्थी ने जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को अपने कर्तव्यों से मुक्त होने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन के अनुसरण में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के कार्यालय ने 15.10.2024 को राहत आदेश पारित किया। (अनुलग्नक–5 व 6) स्थानांतरण आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 15.10.2024 को उपखण्ड अधिकारी दौसा के कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है। (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी ने दिनांक 19.04.2023 से 14.10.2024 तक का वेतन/एरियर जारी करने के संबंध में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के कार्यालय में 28.10.2024 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है क्योंकि इस अवधि में अपीलकर्ता ने जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी का वेतन/एरियर दिनांक 19.04.2023 से 14.10.2024 तक ब्याज सहित जारी किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य